न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 21 / 2020

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर * सत्यमेव जयते

1 आमीन पुत्र हुसैन।
2 जैतुन पुत्री हुसैन।
3 जुमीया पुत्री हुसैन।
4 सफी पुत्र हुसैन।
5 सहीदन उर्फ संता पुत्री हुसैन।
6 शाहीदा पुत्री हुसैन।
7 शोकीन पुत्र हुसैन।
8 हमीद पुत्र हुसैन समस्त जाति काजी मुसलमान निवासीगण चन्दवा तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 गुलजी उर्फ फतेस्या पुत्र नूर मोहम्मद।
2 रमजान पुत्र नूर मोहम्मद समस्त जाति काजी मुसलमान निवासीगण चन्दवा तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मलसीसर जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 रा.टे.एक्ट विरूद्व आदेश दिनांक 24.12.2019 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उनवानी गुलजी उर्फफतेस्सा बनाम रमजान वगैरह

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर(कैम्प झुन्झुनू)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

2

सत्यमेव जयते

उपस्थिति :

1. श्री हरिप्रसाद सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मो0 कुर्बान चेजारा, अधिवक्ता अपीलांट
3. श्री विक्रम सिंह दुलड़, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 06.04.2022

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर द्वारा मुकदमा नम्बर 183/2018 में पारित निर्णय दिनांक 24.12.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 580 एवं 582 में से रास्ते की मांग की। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया है। इससे व्यथित होकर अपीलांट की ओर से धारा 5 के आवेदन के साथ यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई, मौका रिपोर्ट पर आपत्ति का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 09.12.2019 में स्पष्ट अंकन है कि खसरा नम्बर 580 में 4–5 ईंटों का अर्द्ध निर्मित कच्चा निर्माण कार्य किया हुआ है। विचारण न्यायालय में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट आई एल आर में भी इस तथ्य का अंकन है। विचारण न्यायालय ने इस बिन्दु पर विचाराधीन निर्णय में कोई विवेचन नहीं किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट को सम्यक तामील हुई है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया की पालना कर अपीलांट के बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने पर विधि अनुसार एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश कर आई एल आर की मौका रिपोर्ट प्राप्त कर विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई, मौका रिपोर्ट पर आपत्ति का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 09.12.2019 में स्पष्ट अंकन है कि खसरा नम्बर 580 में 4—5 ईंटों का अर्द्ध निर्मित कच्चा निर्माण कार्य किया हुआ है। विचारण न्यायालय में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट आई एल आर में भी इस तथ्य का अंकन है। विचारण न्यायालय ने इस बिन्दु पर विचाराधीन निर्णय में कोई विवेचन नहीं किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को उभयपक्ष की उपस्थिति में सक्षम स्तर से पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त कर उभयपक्ष को सुनकर गुणावगुण पर निर्णय हेतु प्रति प्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.04.2022 को उपस्थिति देवें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

निर्णय आज दिनांक 06.04.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर